Workshop on UGC Regulations 2015

06 Oct, 2025









































Workshop on UGC Regulations 2015

07 Oct, 2025



























Workshop on UGC Regulations 2015

06-07 Oct, 2025

बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय ने 'यौन उत्पीड़न की रोकथाम (POSH)

'vention of Sexual Harrasment)' पर हुआ जागरूकता कार्यक्रम का आयो

PRO BBAU

यौन उत्पीड़न की रोकथाम विषय पर किया गया मंथन

कार्यालय संवाददाता, लखनऊ

PRO BBAU

• बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय में हुआ जागरूकता कार्यक्रम

अमृत विचार: बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय में यौन उत्पीड़न की रोकथाम विषय पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कुलपति प्रो. राज कुमार मित्तल ने कहा कि आज के समय में लोग अपने साथ हुए अपराधों के प्रति जागरूक हो रहे हैं और निडर होकर रिपोर्ट भी कर रहे हैं, जो कि अत्यंत सराहनीय पहल है। उन्होंने 'विशाखा गाइडलाइन्स' का उल्लेख

इन विषयों पर हुए व्याख्यान

- डॉ. वी.के. सिंह की अध्यक्षता में यूजीसी विनियम 2013 बनाम यूजीसी विनियम 2015 (उच्च शिक्षण संस्थानों) लिंग आधारित विशेषताएं
- मनोचिकित्सक डॉ. शाजिया सिद्दीकी की अध्यक्षता में यौन उत्पीड़न का मनोवैज्ञानिक प्रभाव: सामन, सहायता और संसाधन

बीबीएयू : 'यौन उत्पीड़न की रोकथाम' विषय पर किया जागरूक

PRO BBAU

लखनऊ (एसएनबी)। बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय में सोमवार को आंतरिक शिकायत समिति की ओर से 'यौन उत्पीड़न की रोकथाम' विषय पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति राकेश श्रीवास्तव ने कहा कि यह अधिनियम कार्यस्थल पर महिलाओं के प्रति होने वाले

बताया कि महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा कई ठोस कदम उठाए गए हैं। ताकि किसी भी प्रकार के लैंगिक उत्पीड़न की शिकायतों का शीघ्र और निष्पक्ष समाधान हो सके।

विशिष्ट अतिथि विजया भारती सयानी ने कहा कि आंतरिक शिकायत समिति को प्रमुख जिम्मेदारी विश्वविद्यालय परिसर को सुरक्षित, सम्मानजनक और भयमुक्त वातावरण प्रदान करना है क्योंकि उच्च शिक्षा संस्थान केवल ज्ञान का केंद्र नहीं होते, बल्कि यह विद्यार्थियों के भविष्य को आकार देने का कार्य भी करते हैं। विवि के कुलपति प्रो. राज कुमार मित्तल ने कहा कि आज के समय में लोग अपने साथ हुए अपराधों के प्रति जागरूक हो रहे हैं और निडर होकर रिपोर्ट भी कर रहे हैं, जो सराहनीय पहल है। कार्यक्रम में कुलपति एवं अतिथियों द्वारा आईसीसी द्वारा तैयार 'पॉवरे ट्रू सेफ कैम्पस' शीर्षक पर आधारित हैंडबुक का

राष्ट्रीय सहारा (8/10/25)

समाज की संवेदनशीलता पर निर्भर करती है भी कानून की सफलता : जस्टिस राकेश श्री

(एसएनबी)। भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय में सोमवार को आंतरिक शिकायत समिति की ओर से 'यौन उत्पीड़न की रोकथाम' विषय पर आयोजित जागरूकता कार्यक्रम में मंगलवार को मुख्य अतिथि सेवानिवृत्त जस्टिस राकेश श्रीवास्तव ने कहा कि यह अधिनियम कार्यस्थल पर महिलाओं के प्रति होने वाले यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए बनाया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं के लिए सम्मानजनक और समान वातावरण सुनिश्चित करना है। यह कानून तभी प्रभावी सिद्ध हो सकता है, जब इसे प्रशासनिक और न्यायिक स्तर पर उपयोग किया जाए। उससे संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों के बीच जागरूकता फैलाना भी आवश्यक है। जिससे आपसी विश्वास समाप्त हो जाएगा। उन्होंने कहा कि आंतरिक शिकायत समिति को सशक्त बनाने के लिए विश्वविद्यालय को सुरक्षित, सम्मानजनक और भयमुक्त वातावरण प्रदान करना है क्योंकि उच्च शिक्षा संस्थान केवल ज्ञान का केंद्र नहीं होते, बल्कि यह विद्यार्थियों के भविष्य को आकार देने का कार्य भी करते हैं। विवि के कुलपति प्रो. राज कुमार मित्तल ने कहा कि आज के समय में लोग अपने साथ हुए अपराधों के प्रति जागरूक हो रहे हैं और निडर होकर रिपोर्ट भी कर रहे हैं, जो सराहनीय पहल है। कार्यक्रम में कुलपति एवं अतिथियों द्वारा आईसीसी द्वारा तैयार 'पॉवरे ट्रू सेफ कैम्पस' शीर्षक पर आधारित हैंडबुक का

बीबीएयू में बनी आंतरिक शिकायत समिति छात्राओं की राह करेगी आसान

लखनऊ। बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय (बीबीएयू) में बनी आंतरिक शिकायत समिति छात्राओं की राह आसान करेगी। छात्राओं को यदि कोई परेशान करता है तो वह अपनी बात इस समिति के सामने रख सकती है। ये समिति निर्धारित समय में समाधान करेगी। ये बात कुलपति प्रो. राजकुमार मित्तल ने सोमवार को विवि में आयोजित यौन उत्पीड़न की रोकथाम विषय पर आयोजित जागरूकता कार्यशाला में बताई। यूजीसी की जॉइंट सेक्रेटरी डॉ. आशिमा मंगला ने कहा कि यूजीसी के दिशा-निर्देशों के अनुसार कोई भी पीड़िता छात्रा तीन माह के भीतर शिकायत कर सकती है। परिवार का कोई सदस्य भी शिकायत दर्ज करवा सकता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की सदस्य विजया भारती सयानी ने भी विचार रखे। (संवाद)

PRO BBAU



